

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग  
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 12 (9) राज/वाद/07

जयपुर दिनांक: 18.01.12

:: परिपत्र ::

विषय :- माननीय उच्च न्यायालय में राज्य सरकार की ओर से स्वीकारोक्ति/सहमति नहीं देने के संबंध में।

राज्य सरकार के सभी अधिकारीगण जिन्हें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा किसी प्रकरण में जब भी व्यक्तिशः तलब किया जाये, वे उनके विभाग के किसी भी प्रकरण में बगैर राज्य सरकार की पूर्वानुमति के अपनी स्वीकारोक्ति/सहमति नहीं देंगे और न ही वे माननीय न्यायालय में किसी प्रकार का आश्वासन देंगे जब तक उन्हें इस प्रकार की अनुमति न मिल जावे। इस परिपत्र की कठोरता से पालना की जावे/कराई जाये।

मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त अति० मुख्य सचिवगण।
2. समस्त प्रमुख शासन सचिवगण/शासन सचिवगण/विशिष्ट शासन सचिवगण।
3. समस्त विभागाध्यक्ष।
4. रक्षित पत्रावली।

प्रमुख शासन सचिव, विधि

राजस्थान-सरकार  
औषधि नियंत्रक संगठन स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, जयपुर  
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- डीसी/विधि/2012/27

दिनांक 6-2-12

प्रतिलिपि निम्न को प्रेषित कर निर्देशानुसार निर्देशित किया जाता है कि कृपया प्रपत्र की कठोरता से पालना कराये जाने की व्यवस्था करें।

- 1- समस्त सहायक औषधि नियंत्रक, राजस्थान।
- 2- समस्त औषधि नियंत्रण अधिकारी, राजस्थान।

3. सर्वरूप इन्चार्ज की भेजकर देव  
है कि Drug Control की website  
पर इसे प्रदर्शित की।

औषधि नियंत्रक  
राज० जयपुर